(अंग्रेजी माध्यम)

प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शाहजहाँपुर

सेवा में

प्रबन्धक

राम मुरारी पब्लिक स्कूल,
ग्राम सालपुर नवदिया, मीरानपुर कटरा
जनपद शाहजहाँपुर।

पत्रांक ब0शि0–2 / मान्यता / 19401–04 /2017–18 दिनांक 20-01-18

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय, महोदया,

शासनदेश संख्या–418 / 79–6–2013 एस0 (7) / 89 शिक्षा अनुभाग 6 लखनऊ दिनांक 8 मई 2013 के कम मे आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं राम मुरारी पब्लिक स्कूल, ग्राम सालपुर नवदिया, मीरानपुर कटरा, जनपद शाहजहाँपुर को तारीख 01.04.2017 से तारीख 31.03.2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी से कक्षा 08 तक अंग्रेजी माध्यम को अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की सूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं और उसमें किसी भी रूप मे कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबध 2) के उपाबन्धो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) ,उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराऐगा।
4. पैरा–3 में निदिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूतियां प्राप्त करनें के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 5 के उपबधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा–

I. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय मे उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।

II. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जायेगा

III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी।

IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियो को प्रवेश दिया जाना।

VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नही हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेंगें।

For Ram Murari Public School

Principal

For Ram Murari Public School

Manager

For Ram Murari Public School

Manager

RAM MURARI PUBLIC SCHOOL

अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और

vii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापो में नियोजित नहीं करेंगे।

अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापो में नियोजित नहीं करेंगे। अध्यापक विहित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

7 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और मानदण्डों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई सुविधाए निम्नानुसार है–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

कुल निर्मित क्षेत्र

क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्या

प्रधानाध्यापक सह कार्यालय सह भांडागार के लिए कक्ष

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय

पेयजल सुविधा मिड–डे–मील पकाने के लिए पृथक किचेन शेड

बाधारहित पहुँच

अध्यायन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालयों के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर – मान्यता प्राप्त कक्षाए नही चलाई जाएगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा हैं।

12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।

13. विद्यालय के लेखाओ की किसी चार्टड अकाउटेंट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जायेंगे। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता हैं जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता हैं, जो मान्यता सम्बन्धों शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कामकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17. विद्यालय मे अग्निशमन यन्त्र एवं विद्यालय भवन मानक अनुसार होना चाहिए।

शिक्षा संहिता में उल्लिखित नियमों एवं विभागीय शासनादेशों मे दिये गये आदेशो/निर्देशो का उल्लघन करने पर तथा अभिलेखों आदि कोई तथ्य छिपाया/कूट रचित पाया गया तो उक्त विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शाहजहाँपुर

For Ram Murari Public School
Principal

पृ0सं0/प्र0स0–2/मान्यता/ /2017–18 तददिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), बरेली।
3. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद शाहजहाँपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शाहजहाँपुर

For Ram Murari Public School
Manager

For Ram Murari Public School
Manager

RAM MURARI PUBLIC SCHOOL
KATRA SHAHJAHANPUR

rajkosh.prernaup.in - Search | Graphical Dashboard

Not secure | rajkosh.prernaup.in/PublicUser/Tracing

Facebook Google Hotstar NDTV Yahoo Zomato iCloud Gmail YouTube Maps Dell Other

प्रेरणा बेसिक शिक्षा विभाग | स्कूल की मान्यता का आवेदन, उत्तर प्रदेश 8755648394

USER MANUAL | GUIDELINES | PREVIEW | APPLY NEW APPLICATION | FEEDBACK | ISSUES | COMPLIANCE WINDOW NEW | LOGOUT

Online School Recognition Application Status

किसी भी समस्या या जानकारी के लिए 05223538777,18001800666

entries Search:

District Name	School Name	Mobile No.	Application Type	Application Form No.	Class Type	Raised Query	Current Status	View Application	In
BAREILLY	RAMMURARI PUBLIC SCHOOL	8755648394	Old Application(Renewal)	10117-22 /2018-19	प्राइमरी स्तर (I - V)	0		Fill Application	N

For Ram Murari Public School
Manager

For Ram Murari Public School
Principal

Search ENG

बेसिक शिक्षा विभाग : स्कूल की मान्यता का आवेदन उत्तर प्रदेश

8755648394

☰ Menu

HOME

USER MANUAL

GUIDELINES

PREVIEW

APPLY NEW APPLICATION

FEEDBACK

ISSUES

COMPLIANCE WINDOW NEW

LOGOUT

Online School Recognition Application Status

'77,18001800666 पर संपर्क करे।

Show 10 entries

Search:

SNo	District Name	School Name	Mobile No.	Application Type	Application Form No.	Class Type	Raised Query	Current Status
1	BAREILLY	RAMMURARI PUBLIC SCHOOL	8755648394	Old Application(Renewal)	10117-22 /2018-19	प्राइमरी स्तर (I - V)	0	
2	SHAHJAHANPUR	RAMMURARI PUBLIC SCHOOL	8755648394	New Application	SHA09225624663	प्राथमिक(I - V)	0	Rejection Letter Generated By BSA

For Ram Murari Public School

Principal

For Ram Murari Public School

Manager

SNo	District Name	School Name	Mobile No.	Application Type	Application Form No.	Class Type	Raised Query	Current Status
3	SHAHJAHANPUR	RAM MURARI PUBLIC SHCOOL	8755648394	Old Application(Renewal)	19401-04	प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल स्तर (I - VIII)	0	Forwarded To B.S.A

Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous 1 Next

विद्यालय की मान्यता का प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए बटन Show पर क्लिक करके दिशा निर्देश पढ़े ,तत्पश्चात विद्यालय की मान्यता का प्रमाण पत्र डाउनलोड करे

START

Forwarded To B.S.A

06 Sep 2023

For Ram Murari Public School

Principal

For Ram Murari Public School

Manager

स्कूल मान्यता के लिये आवेदन

एप्लीकेशन फॉम नंबर - 19401-04

एप्लीकेशन के प्रकार - स्थायी मान्यता(नवीनीकरण)

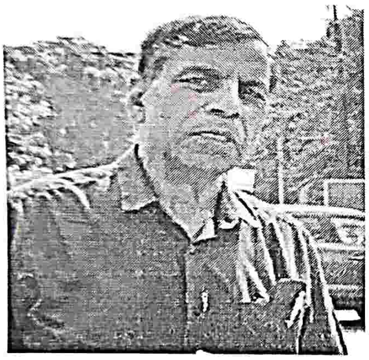

नाम	: RAMMURARI PUBLIC SCHOOL	स्कूल का नाम	: RAM MURARI PUBLIC SHCOOL
स्कूल की मान्यता का प्रकार	: प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल स्तर (I - VIII)	राज्य	: Uttar Pradesh
जिला का नाम	: SHAHJAHANPUR	ब्लॉक / टाउन	: Katra
मोबाइल नंबर	: 6398020476	ई-मेल	:rammuraripublicschool@gmail.com
पिनकोड	: 242301	स्कूल का प्रकार	: Co-Ed School

विद्यालय का विवरण

1. विद्यालय का नाम
RAM MURARI PUBLIC SHCOO

2. शैक्षणिक सत्र
2023-24

3. जिला
SHAHJAHANPUR

4. क्षेत्र का प्रकार ◉ ग्रामीण ○ शहर

5. ब्लॉक / टाउन
--Select--

6. डाक पता
SALPUR NAVADIYA MEERANPUR KATRA

7. पिनकोड
242301

8. फ़ोन नंबर
6398020476

9. फैक्स नंबर
NA

10. ई-मेल पता
rammuraripublicschool@gmail.c

11.मोबाइल नंबर
6398020476

12. निकटतम पुलिस स्टेशन
KATRA THANA

For Ram Murari Public School
Principal

For Ram Murari Public School
Manager

सामान्य जानकारी

1. स्थापना का वर्ष
2016

2. विद्यालय के प्रथम खुलने का दिनांक
4/3/2017 12:00:00 AM

3. पुरानी मान्यता का पत्र अपलोड करने की सुविधा

3.1 जारी दिनांक
1/20/2018 12:00:00 AM

3.2 अपलोड दस्तावेज
State Registration.pdf

3.3 कोड नंबर
1940104

4. न्यास /समिति /प्रबंध समिति का नाम
ASHOK KIRAN CHARITABLE T

5. क्या न्यास /समिति /प्रबंध समिति पंजीकृत है? Yes

6. न्यास /समिति /प्रबंध समिति के पंजीकरण की वैधता की अवधि (साक्ष्यो के प्रमाण के लिए सुसंगत दस्तावेजो को सलंग्न किया जाये) RMPS TRUST DEED.pdf

7. प्रतियुक्त हलफनामे पर पते सहित सदस्यों की सूची के साथ न्यास / समिति /प्रबंध समिति का गैर सांपत्तिक चरित्र का प्रमाण Non Proprietary Affadavit.pdf

8. विद्यालय के अध्यक्ष /प्रधान /प्रबंधक का नाम ,कार्यालय पता

8.1 नाम
ASHOK KUMAR AGARWAL

8.2 पदनाम
प्रबंधक

8.3 पता
C8 RAMPUR GARDEN BAREIL

8.4 कार्यालय नंबर
9358617603

8.5 आवास नंबर
9358617603

8.6 मोबाइल नंबर
9358617603

9. पिछले तीन वर्षो के दौरान कुल आय एवं व्यय अधिशेष/घाटा (लेखो को चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखा संपरिक्षित तथा प्रमाणित किया जाना चाहिये और समुचित लेखा-विवरण सलंग्न किये जाये)

वर्ष	आय	व्यय	अधिशेष/घाटा	फाइल अपलोड
2021-2022	1833296	1763586	69710	Balance Sheet.pdf

विद्यालय की प्रकृति और क्षेत्र

1. शिक्षा का माध्यम
अंग्रेजी माध्यम

2.1 लड़के-लड़कियाँ / सह-शिक्षा
सह-शिक्षा

2.2 आवेदित मान्यता के अतिरिक्त कक्षायें पूर्व से सहायता प्राप्त है या न
हां ◯ नहीं ◉

3. क्या विद्यालय मान्यता प्राप्त है?
◉ हां ◯ नहीं

3.1 प्राधिकारी का नाम
CBSE

3.2 मान्यता संख्या
2133488

4. विद्यालय के पास उसका भवन
निजी भवन

4.1. रजिस्ट्री के दस्तावेज अपलोड
LAND DOCUMENTS.pdf

4.2. विद्यालय के पास उसका निजी भवन है (साक्ष्यो के प्रमाण के लिए सुसंगत दस्तावेजो को सलंग्न किया जाये) KIRAYANAMA RMPS.pdf

4.3. अग्निशमन प्रमाण पत्र
Fire safety.pdf

4.4. मैप अपलोड
Map School.pdf

4.5. भू-उपयोग विद्यालय के नाम है स्थिति (क्षेत्र के प्राधिकरण के अनुसार)
KIRAYANAMA RMPS.pdf

For Ram Murari Public School
Principal

For Ram Murari Public School
Manager

.6 बिल्डिंग की फोटो
(बिल्डिंग के मुख्य द्वार,कमरे एवं अन्य दो फोटो अपलोड)

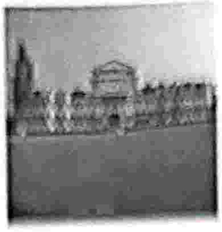
1

3

2

4

.7 नेशनल बिल्डिंग कोड प्रमाण पत्र
Building safety.pdf

5. विद्यालय का निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर)
8165

6. विद्यालय का कुल क्षेत्र (वर्ग मीटर
19622

7. क्या विद्यालय भवनों या अन्य निर्मित संरचनाओं या मैदान का प्रयोग केवल शिक्षा एवं प्रवीणता संबन्धित विकास के प्रयोजनार्थ किया जाता है?

नामांकन के स्तर

क्र.स.	कक्षा	अनुभागो की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
1	--Sele ∨	1	25
2	--Sele ∨	1	20
3	--Sele ∨	1	25
4	--Sele ∨	1	24
5	--Sele ∨	1	23
6	--Sele ∨	1	23
7	--Sele ∨	1	16
8	--Sele ∨	1	9

आधार भूत संरचनाओ का विवरण एवं स्वच्छता सम्बन्धी दशायें

क्रम.स.	कक्ष	संख्यायें	औसत आकार	कक्ष की फ़ोटो
1.	कक्षा-कक्ष की संख्या	18	580.95 वर्ग फीट 580.95 वर्ग फीट 580.95 वर्ग फीट 580.95 वर्ग फीट 580.95 वर्ग	ViewImage

For Ram Murari Public School
Manager

For Ram Murari Public School
Principal

क्रम.स.	कक्ष	संख्यायें	औसत आकार	कक्ष की फ़ोटो
			फीट 580.95 वर्ग फीट 580.95 वर्ग फीट 580.95 वर्ग फीट 580.95 वर्ग फीट 580.95 वर्ग फीट 580.95 वर्ग फीट 580.95 वर्ग फीट 580.95 वर्ग फीट 580.95 वर्ग फीट 580.95 वर्ग फीट 580.95 वर्ग फीट 580.95 वर्ग फीट 580.95 वर्ग फीट	
2.	प्रधानाध्यापक कक्ष	1	580.95 वर्ग फीट	ViewImage
3.	स्टाफ कक्ष	2	580.95 वर्ग फीट 580.95 वर्ग फीट	ViewImage
4.	कार्यालय कक्ष	1	580.95 वर्ग फीट	ViewImage
5.	पुस्तकालय / वाचनालय कक्ष	1	1214.26 वर्ग फीट	ViewImage
6.	रसोई-सह-भंडारण			ViewImage

For Ram Murari Public School
Manager

For Ram Murari Public School
Principal

अन्य सुविधाएं

1. क्या समस्त सुविधाओं तक बाधारहित पहुँच है ?

2. शिक्षक-अधिगम सामग्री (सलंग्न सूची)
Teaching Tools.pdf

3. क्रीड़ा और खेल उपस्कर (सलंग्न
INVENTORY SPORTS FINAL.pc

4. पुस्तकालय में पुस्तकों की सुविधा

/ पुस्तकें(पुस्तकों की संख्या)(सलंग्न सूची)
LIBRARY BOOKS.pdf

4.2 सामाजिक / समाचारपत्रर (सलंग्न सूची)
LIBRARY BOOKS.pdf

5. पेयजल की सुविधा के प्रकार एवं संख्या

5.1 पेयजल की सुविधा के प्रकार
Purified Water

5.2 पेयजल की सुविधा की संख्या
24

6. स्वच्छता सम्बन्धी दशायें

6.1 मूत्रालयों और डब्लू.सी. के प्रकार
फ्लश

6.2 बालकों के लिए अलग से शौचालयों / मूत्रालयों की संख्या एवं फोटो अपलोड
4
ViewImage

6.3 बालिकाओं के लिए अलग से शौचालयों / मूत्रालयों की संख्या एवं फोटो अप
4
ViewImage

7. शिक्षण सम्बन्धी दशायें

7.1 बालक एवं बालिका की विज्ञान सामग्री संलग्न
BiologyLab Requrements.pdf

7.2 कोष्ठाकरण सामग्री संलग्न
Physics Requirements.pdf

7.3 पठन-पाठन सामग्री संलग्न
Teaching Tools.pdf

शिक्षण कर्मियों का विवरण

क्र.स.	पदनाम	अध्यापक का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षणिक अहर्ता(विषय के साथ)	व्यावसायिक अहर्ता	शिक्षण अनुभव	समुनिदेशित कक्षा	नियुक्ति का दिनांक	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित
1	--Se	LOVEI	SH	9/23/1	1	B.ED.	24		9/24/:	प्रशि

एन.एस.सी. राशि का विवरण

1. एन.एस.सी. का चालान नंबर
305017536

2. एन.एस.सी. भुगतान का दिनांक
9/6/2023 3:28:56 PM

3. एन.एस.सी. भुगतान की राशि
25000

4. एन.एस.सी. पोस्ट ऑफिस का पता
SUB POST OFFICE BAREILLY

5. एन.एस.सी. पोस्ट ऑफिस का नाम
SUB POST OFFICE

6. एन.एस.सी. राशि का डॉक्यूमेंट
NSC.pdf

शपथ पत्र -

Download

For Ram Murari Public School
Principal

For Ram Murari Public School
Manager

शपथ पत्र

मै **ASHOK KUMAR AGARWAL** प्रबंधक **RAM MURARI PUBLIC SHCOOL**शपथपूर्वक निम्न बयान करता/करती हूं:-

1. मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत वेतन भुगतान मान्यता मिलने के उपरांत किया जाएगा।
2. विद्यालय के प्रबंधन समिति मे किसी प्रकार का विवाद नहीं है। प्रबंध समिति विवाद रहित है।
3. विद्यालय में प्रबंध समिति का कोई सगा संबंधी कार्यरत नहीं है।
4. विद्यालय किसी भी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसिएशन को लाभ पहुंचाने के लिए संचालित नहीं किया जाएगा।
5. विद्यालय में उसके सुचारू रूप से संचालन के लिए उस विद्यालय के प्रबन्धाधिकारी द्वारा पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध कराए जाएंगे तथा जिन विषयों में अध्यापन के लिए विद्यालय को मान्यता दी गई है उसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।
6. विद्यालय की **प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल स्तर (I - VIII)** तक की **अंग्रेजी माध्यम** की कक्षाओं का आवेदन किया गया है, जिसका संचालन नहीं किया जा रहा है। संस्था द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुसार के कक्षा अथवा कोई अनुभव (सेक्शन) ना खोला जाएगा और ना ही बंद किया जाएगा ना समाप्त किया जाएगा और ना ही स्थानांतरित किया जाएगा। इस विद्यालय की मान्यता पर विद्यालय की शाखा नहीं चलाई जाएगी।
7. विद्यालय के फंडों के लेखों का ऑडिट मान्यता मिलने के बाद चार्टेड एकाउंटेंट से कराया जाएगा।
8. छात्रों से पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क तथा कैपिटेशन के रूप में कोई फीस नहीं ली जाएगी।
9. विद्यालय के सभी स्थाई अध्यापकों के जी0 पी0 एफ0 की कटौती नियमाअनुसार भविष्य में की जाएगी।
10. विद्यालय के बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में ना तो शिक्षा दी जाएगी और ना ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जाएगा।
11. विद्यालय में सभी धर्म जाति वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।
12. विद्यालय में राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की जाएगी।
13. भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की संप्राप्ति के लिए प्राविधानित नीतियों तथा समय-समय पर निर्गत शासन के आदेशों का अक्षरश: पालन किया जाएगा।
14. विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यवसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिए दिन और रात में प्रयोग नहीं किया जाएगा।
15. विद्यालय भवन परिसर, मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक क्रियाकलापों के प्रयोग में नहीं लिया जाएगा।
16. विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम, मान्यता का वर्ष, विद्यालय कोड एवं मान्यता प्रदान करने वाली संस्था / निकाय का प्रतीक चिन्ह (लोगों) एवं नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा। अधिकतम 2 वर्ष में विद्यालयभवन मे रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।
17. बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय / मंडलीय / राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी समक्ष प्राअधिकारी द्वारा विद्यालय से संबंधित सूचना मांगे जाने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनाएं निर्देशानुसार उपलब्ध कराई जाएंगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

For Ram Murari Public School
Principal

For Ram Murari Public School
Manager

18. मान्यता प्राप्ति के उपरांत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम- 2009 की धारा- 12 (1) (सी) के अंतर्गत दुर्लभ आय वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।

19. शिक्षा के माध्यम हिंदी / अंग्रेजी भाषा होगी तथा अंकों के अंतराष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा। हिंदी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएगी।

20. शिक्षकों / कर्मचारियों की नियुक्ति में नियमावली के अधीन विहित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

21. विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम- 2009 के अनुसार न्यूनतम स्टाफ रखा जाएगा।

22. विद्यालय के प्रबंधतंत्र द्वारा कर्मियों का वेतन भुगतान अपने निजी स्रोतों से किया जाएगा।

23. विद्यालय समय-समय पर निर्गत शासनादेश, विभागीय आदेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करेगा।

24. विद्यालय की मान्यता मिलने से क्षेत्र में वर्तमान संस्थाओं के स्तर पर तथा दक्षता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

25. सबंधित विद्यालय/संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार यू-डायस + से सबंधित सूचनायें/आंकड़े भरना अनिवार्य होगा|

26. विद्यालय परिसर में या विद्यालय परिसर के समीप पर्याप्त क्रीड़ा स्थल उपलब्ध होना चाहिए जिसका उपयोग विद्यालय के छात्र/छात्राएं कर सकते हो| (पृ0 संख्या-4, बिंदु-17 (¥))

<u>सत्यापन</u>

☑ मै शपथी सत्यापित करता हूं कि शपथपत्र की धारा- 01 से 26 मेरे ज्ञान व विश्वास से सही वह सत्य है। कोई तथ्य छुपाया नहीं है। उक्त बयान शपथ कर दिया ताकि वक्त जरूरत काम आये|।

Uttar Pradesh

For Ram Murari Public School
Principal

For Ram Murari Public School
Manager